झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग
संकल्प

1289
4.5.17

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत शहीद ग्राम विकास योजना हेतु रू० 30.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति ।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखण्ड के अनुसूचित जनजातियों का योगदान अतुलनीय है। उक्त वर्गो के कई योद्धाओं ने स्वंतत्रता संग्राम में अपनी प्राणों की आहूति दी है। झारखण्ड के उन वीर सपूतों के योगदानों को स्मरणीय बनाने हेतु कल्याण विभाग द्वारा शहीद ग्राम विकास योजना नामक एक योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन योद्धाओं के ग्रामों का समग्र विकास करना है। योजना के तहत स्वतंत्रता संग्राम में अनुसूचित जनजाति के शहीद हुए झारखण्ड राज्य के शहीदों के ग्रामों का चयन किया गया है। जिसका विस्तृत ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है। उक्त योजना का लक्ष्य चयनित ग्रामों का समग्र विकास करना है जो योजनान्तर्गत उपबंधित राशि एवं अन्य योजनाओं के द्वारा तथा अंतर विभागीय समन्वय एवं अभिशरण (Co-ordination and Convergence) के माध्यम से किया जायेगा।

शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चयनित ग्रामों में आदर्श ग्राम योजना (AGY) के तहत कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं वित्तीय समावेषण, आजीविका के संसाधनों में वृद्धि, युवाओं में कौशल विकास इत्यादि का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में शहीद ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत उपबंधित राशि का उपयोग भौतिक आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण करने यथा आवास का निर्माण, गली एवं नाली का निर्माण, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, आंगनबाड़ी/स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण आदि एवं संसाधन न्यूनता (GAP FILLING) को दूर करने हेतु कार्यों के लिए किया जाना है।

शहीद ग्राम योजना के तहत ग्रामों की सूंचीः–

क्रं०	शहीदों के नाम	जिला	प्रखण्ड	गाँव
1.	बिरसा मुण्डा	खूँटी	अड़की	उलिहातू
2.	वीर बुधु भगत	राँची	चान्हो	सिलागई
3.	सिद्धु–कान्हु और चाँद– भैरव	साहेबगंज	बरहेट	भोगनाडीह
4.	निलाम्बर–पिताम्बर	गढ़वा	भंडरिया	मदगड़ी
5.	तेलंगा खड़िया	गुमला	सिसई	मुरगु सिसई
6.	टाना जतरा भगत	गुमला	बिसुनपुर	चिंगारी नवा टोली
7.	दिवा किसुन	प० सिंहभूम	राजनगर थाना	गुमिदपुर, मातकोम बेड़ा गाँव
8.	गया मुण्डा	खूँटी	मुरहू	ऐटकेडीह

आवश्यकता अनुरूप स्वंतत्रंता संग्राम के अन्य शहीदों के ग्रामों को भी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।

2. योजना का उद्देश्यः–

- चयनित शहीद ग्राम में आवासों का निर्माण रू० 2.63 लाख (दो लाख तिरेसठ हजार रू०) के दर से किया जायेगा। यह सुविधा वैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दी जाएगी जो कच्चे आवास में निवास करते हैं तथा विगत पाँच वर्षो में सरकार के किसी भी आवासीय योजना के तहत लाभ नहीं प्राप्त किए हैं।
- चयनित ग्रामों में पथ, नाली, आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, सामुदायिक भवन एवं अन्य भौतिक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण।

- चयनित ग्रामों में अन्य विभागों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा पेयजल एवं स्वच्छता, आदि के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का विषयपरक क्रियान्वयन।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में संसाधन न्यूनता को दूर करना।
- TRI के माध्यम से अध्ययन करा कर चयनित ग्रामों की सांस्कृतिक धरोहरों का सुदृढ़ीकरण एवं शिल्प तथा साहित्यिक विरासत में वृद्धि।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत कुकिंग गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना।

3. <u>क्रियान्वयन की रणनीति एवं योजना का संचालनः–</u>

योजना का क्रियान्वयन चयनित जिले के परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० / जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अंतर विभागीय समन्वय एवं अभिषरण हेतु जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में संचालन–सह–अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा जिसकी संरचना निम्नलिखित होगीः–

अध्यक्ष–उपायुक्त
संयोजक–संबंधित PD-ITDA / जिला कल्याण पदाधिकारी
सदस्यः–

i. संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी
ii. JTDS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक
iii. JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक
iv. उपायुक्त के द्वारा नामित एक कार्यपालक अभियन्ता
v. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
vi. आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित प्रखण्ड समन्वयक–सह–यंग प्रोफेशनल
vii. चयनित ग्राम के शहीद परिवार (वंशज) के एक सदस्य

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु "संचालन–सह–अनुश्रवण समिति" की बैठक हर माह में आयोजित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना निदेशक / जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर चयनित ग्रामों का समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य रणनीतियाँ निम्नलिखित होंगीः–

- सहभागी पद्धति द्वारा चयनित ग्राम का समग्र योजना का निर्माण किया जाएगा। प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी यह कार्य आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित प्रखण्ड समन्वयक–सह–यंग प्रोफेशनल से समन्वय स्थापित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से करेंगे तथा संबंधित ग्राम सभा से योजनाओ का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- उपायुक्त की अध्यक्षता में "संचालन–सह–अनुश्रवण समिति" की बैठक में योजनाओ की प्राथमिकीकरण की जाएगी।
- जिला उपायुक्त के माध्यम से चयनित योजनाओ का कल्याण विभाग में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- अंतर विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

4. शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का चयन भौतिक अधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संसाधन न्यूनता का दूर करने हेतु किया जा सकता हैः–
   - चयनित ग्राम के वैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार, जो कच्चे आवास में निवास करते हैं तथा विगत पाँच वर्षों में सरकार के किसी भी योजनाओं के तहत आवास का लाभ नहीं मिला है, को आवासीय सुविधा मुहैया कराना।
   - चयनित ग्राम में आवश्यकतानुसार पथ एवं नाली का निर्माण किया जायेगा।

- स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन का निर्माण, सामुदायिक भवन एवं सांस्कृतिक भवन का निर्माण।
- आवश्यकतानुसार पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था।
- गाँव में अवस्थित विद्यालायों में लाइब्रेरी की स्थापना।
- गाँव के विद्यालय में खेल के संसाधन उपलब्ध करना।
- विद्यालयों में अध्यनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु सोलर लैम्प (One Lamp One Child) का लाभ देना।
- समय–समय पर विभाग द्वारा दिए गए निदेशानुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन।

5. शहीद ग्राम विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल 3000.00 लाख रू० (तीस करोड़ रू०) राशि उपबंधित है जिसका व्यय उपरोक्त गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में 3 वर्ष की अवधि तक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
6. वित्तीय वर्ष 2017–18 में शहीद ग्राम योजना हेतु कुल भारित व्यय की राशि कुल 3000.00 लाख रू० (तीस करोड़ रू०) मात्र मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष –02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–98–शहीद ग्राम विकास योजना–विस्तृत शीर्ष –05– निर्माण, 43– अनुश्रवण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
7. योजना के उपबंधित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/ तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त होंगे। आवास का निर्माण लाभुकों के द्वारा किया जाएगा तथा अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन निविदा के माध्यम से किया जाना है।
8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति कल्याण विभागीय संलेख ज्ञापांक– 1158, दिनांक– 18.04.2017 के क्रम में दिनांक– 26.04.2017 की बैठक के मद संख्या– 04 में दी गई हैं।
9. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/शहीद ग्रा०वि० 19/2017/ 1289 दिनांक– 4.5.17

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव।